

दुर्घटना की जांच, चार्जशीट जल्द हो तो तुरंत मिलेगा मुआवजा

जासं, जामताड़ा : आंकड़ों के अनुसार हर आठवां मौत एक्सीडेंटल है। यह काफी भयावह है। इन दुर्घटनाओं में करीब 70 प्रतिशत ऐसे केस हैं, जो 19 से 40 आयु वर्ग के होते हैं। ये परिवार के कमाऊ व्यक्ति या मुखिया होते हैं। ये बातें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने कही। वे रविवार को मोटर एक्सीडेंट क्लेमस ट्रिब्यूनल को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मोटर एक्सीडेंट क्लेमस ट्रिब्यूनल के सभी प्रविधानों व पीड़ित परिवारों को कैसे मुआवजा दिलाया जाए, ऐसे केस में पुलिस क्या कार्रवाई करे और कैसे एफआईआर एवं चार्जशीट फाइल की जाये, इन बिंदुओं पर उदाहरण के साथ जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना के मामलों में पुलिस व अनुसंधान अधिकारी (आइओ) की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करें, जल्दी चार्जशीट फाइल करें, ताकि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाया जा सके। उन्होंने



रविवार को जामताड़ा में कार्यशाला को संबोधित करते पीडीजे राधाकृष्ण • जागरण



जामताड़ा में रविवार को हुई कार्यशाला में मौजूद थानेदार व न्यायिक अधिकारी • जागरण

कहा कि एक महीने में अगर पुलिस अनुसंधान कर चार्जशीट फाइल करने लगे, तो जामताड़ा देश में पहला ऐसा जिला होगा जहां मुआवजा प्रक्रिया तेज होगी। इसके लिए सभी स्टेकहोल्डर्स को समन्वय के साथ काम करना होगा। बताया कि अक्सर देखा जाता है कि लोग दुर्घटना होने पर मुआवजे के लिए सड़क जाम कर देते हैं। कई मामलों में उनके ऊपर ही केस दर्ज हो जाता

है और न्यायिक प्रक्रिया लंबी हो जाती है। सड़क जाम करना समाधान नहीं है। उन्होंने अपील की कि हरेक थानों में डीएलएसए के पीएलवी कार्यरत हैं, पीड़ित परिवार वहां जाएं, आपको कानूनी सहायता मुफ्त मिलेगी और मुआवजे का भुगतान भी जल्द होगा।

एमएसीटी सामाजिक न्याय का माध्यम : कार्यशाला में डीसी रवि आनंद ने कहा कि आज सड़क

दुर्घटनाएं हमारे समाज के लिए गंभीर चुनौती बन गई हैं, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड के आंकड़ों को देखे तो हरेक वर्ष करीब दो लाख लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना के कारण हो जाती है वहीं करीब पांच लाख लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है एवं इससे हमारा झारखंड एवं जामताड़ा भी अछूता नहीं है। ऐसे में मोटर दुर्घटना दवा

तुरंत हो एफआईआर, एक माह में चार्जशीट करें दायर : एसपी

एसपी राजकुमार मेहता ने कार्यशाला में कहा कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज करें। इस काम में लोगों की मदद करें। घटनास्थल का फोटो, गवाह का बयान, वाहन डिटेल्स के साथ एवं वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान एक महीने के अंदर पूरा करें। ध्यान रहे कि एक महीने से अधिक पुलिस लेवल पर लंबित न हो, जल्दी चार्जशीट फाइल करें। इसकी निगरानी के लिए थाना स्तर पर एसआइ रैंक का अधिकारी रहे।

न्यायाधिकरण अर्थात एमएसीटी केवल एक न्यायिक मंच नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय का माध्यम भी है, जो पीड़ितों और उनके परिवारों को मुआवजा देने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जामताड़ा जिले में पिछले एक वर्ष में पुलिस, परिवहन एवं डीएलएसए के सामूहिक प्रयासों से दुर्घटना सूचना प्रतिवेदन दाखिल करने में सुधार हुआ है।

DEFINITION OF MACT

Motor Accident Claims Tribunals (MACT) handle those claims which are in relation to loss of life/property or those injury cases arising out of Motor Accidents. These cases need to be directly filed in the tribunals.



UNDER THE REGIS OF

JHARKHAND STATE LEGAL SERVICE AUTHORITY, RANCHI

DISTRICT LEGAL AUTHORITY, JAMTARA

IN ASSOCIATION WITH

DISTRICT ADMINISTRATION, JAMTARA

ORGANISES

DISTRICT LEGAL WORKSHOP ON MACT

(Motor Accident claimants)



DEFINATION OF MACT

Motor Accident Claims Tribunal (MACT) Courts handle those claims which are in relation to loss of life/property or those injuries arising out of Motor Accident. They need to be directly filed in the court.

2-61



UNDER THE REGIS OF

JHARKHAND STATE LEGAL SERVICE AUTHORITY, RANCHI

DISTRICT LEGAL AUTHORITY, JAMTARA

IN ASSOCIATION WITH

DISTRICT ADMINISTRATION, JAMTARA

ORGANISES

DISTRICT LEGAL WORKSHOP ON MACT

(Accident Compensation)





